कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/छाप्रोप्र/डी/बजट घोषणा–155.0.0/2021–22 दिनांकः– 22/02/2022

उपायुक्त–III
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
शिक्षा संकुल, जयपुर।

विषय – आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना के आवेदन शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रत्येक संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100–100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000/– रु एवं प्रशस्तिपत्र देय है।.

1. विद्यार्थी सामान्य संवर्ग का हो।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10, प्रवेशिका, 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
3. विद्यार्थी के माता–पिता की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रु 2.5 लाख से कम हो।
4. जिन छात्राओं को बजट घोषणा 155.0.4 में स्कूटी प्राप्त हुई है वे पात्र नहीं हैं।
5. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के पात्र मेधावी विद्यार्थियों का विवरण–

क्रस	परीक्षा का नाम	विद्यार्थी संख्या
1	माध्यमिक (10)	98
2	प्रवेशिका	02
3	उ.मा. (12) विज्ञान	98
4	उ.मा. (12) वाणिज्य	98
5	उ.मा. (12) कला	98
6	वरिष्ठ उपाध्याय	06
	योग	400

अतः निवेदन है कि उक्त योजना के संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देश के अनुसार शालादर्पण पोर्टल पर आवेदन को ऑनलाईन करवाने एवं जनआधार से लिंक करवाने का श्रम करावें। उक्त सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होने पर हम सतत् सहयोग के लिए तत्पर है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एव प्रोत्साहन अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– क्रमांकः–शिविरा/मा/छाप्रोप्र/डी/बजट घोषणा–155.0.0/2021–22 दिनांकः–

प्रतिलिपि :– पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शिक्षा संकुल जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त योजना के जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर योजना का मॉड्यूल बनवाने की प्रक्रिया शुरू करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को भेजकर निवेदन है कि उक्त योजना हेतु एन.आई.सी. से समन्वय करके जनआधार से लिंक करवाने का श्रम करें।
3. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ शिक्षा संकुल जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त योजना के जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर योजना का मॉड्यूल एन.आई.सी. से समन्वय करके ऑनलाईन शुरू करवाना सुनिश्चित करें।
4. सहायक निदेशक, शाला दर्पण कार्यालय हाजा उक्त योजना के जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर योजना का मॉड्यूल एन.आई.सी. से समन्वय करके ऑनलाईन शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एव प्रोत्साहन अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थीयों हेतु प्रोत्साहन योजना

<table>
<tr><td>योजना का नाम</td><td>आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना</td></tr>
<tr><td>योजना</td><td>राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं एवं बारहवी की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग (वाणिज्य, विज्ञान, कला) की घोषित मेरिट में प्रथम 100 विद्यार्थियों को एकमुश्त 15000/- रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जायेंगे |</td></tr>
<tr><td>पात्रता</td><td>1. विद्यार्थी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से होना चाहिए |
2. विद्यार्थी के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 2,50,000/- (दो लाख पचास हज़ार रुपये) से कम हो |
3. मध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे |
4. अंतिम वरीयता अंक पर एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी में अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पात्र होगा | यदि इन दोनों विषयों में भी अंक सामान होते है तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र होगा |
5. माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अंतर्गत पात्र छात्राएं जिन्होंने एकमुश्त 15000/- रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाने का विकल्प दिया है तो छात्राएं बजट घोषणा 155.0.0 तथा वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 (आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी योजना) में से किसी एक योजना के चयन का विकल्प दे सकेगी |
6. योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं (यथा- साईकल / ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) का लाभ भी देय होगा |
7. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में बरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थीयों की संख्या निम्नानुसार होगी –
<table>
<tr><td>क्र.सं</td><td>कक्षा</td><td>परीक्षा का नाम</td><td>विद्यार्थियों की संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>10th</td><td>माध्यमिक परीक्षा</td><td>98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10th</td><td>प्रवेशिका परीक्षा</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12th</td><td>उच्च माध्यमिक कला वर्ग</td><td>98</td></tr>
<tr><td>4</td><td>12th</td><td>उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग</td><td>98</td></tr>
<tr><td>5</td><td>12th</td><td>उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग</td><td>98</td></tr>
<tr><td>6</td><td>12th</td><td>वरिष्ठ उपाध्याय</td><td>06</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>400</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>देय लाभ</td><td>योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाले समस्त पात्र विद्यार्थीयों को एकमुश्त 15000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे |
पात्र विद्यार्थीयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थीयों के बैंक खाते में दी जाएगी |</td></tr>
</table>

आवेदन-पत्र

(आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15000/- रुपये की प्रोत्साहन योजना का आवेदन-पत्र)

1. विद्यार्थी का नाम – ____________________
2. विद्यार्थी के पिता का नाम – ____________________
3. जन्मतिथि – ____________________
4. जाति – ____________________

   (सक्षम अधिकारी द्वारा ज़ारी सामान्य वर्ग का प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति सलंग्न करें)
5. मूल निवास का पता – ____________________

   ____

   जिला- __________ मोबाइल नंबर – ____________
6. माता / पिता / अभिभावक का व्यवसाय व वार्षिक आय – ____________

   (मूल आय प्रमाण-पत्र सलंग्न करें जो 6 माह से अधिक पुराना न हो तथा सकल वार्षिक आय 2,50,000/- से कम हो)
7. क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 133.02 के अंतर्गत स्कूटी प्राप्त करने का विकल्प दिया है- हाँ / नहीं

   (उक्त विकल्प नहीं देने की स्थिति में बजट घोषणा 155.0.0 के तहत एकमुश्त राशि 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने हेतु स्व-हस्ताक्षरित शपथ-पत्र सलंग्न करें)
8. परीक्षा से सम्बन्धी विवरण –

कक्षा / संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	अनिवार्य अंग्रेजी प्राप्तांक	अनिवार्य हिंदी प्राप्तांक	राजकीय / निजी विद्यालय का नाम जहाँ अध्ययन किया
कक्षा–10	2017-18					
प्रवेशिका	2017-18					
उच्च माध्यमिक कला	2017-18					
उच्च माध्यमिक विज्ञान	2017-18					
उच्च माध्यमिक वाणिज्य	2017-18					
वरिष्ठ उपाध्याय	2017-18					

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

9. बैंक अकाउंट का विवरण –

खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC कोड

प्रमाण-पत्र

मैं ________________ (विद्यार्थी का नाम) प्रमाणित करता/करती हूँ कि बिंदु संख्या 01 से 09 तक अंकित की गयी समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सत्य है | यदि प्रस्तुत की गयी कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाए गए तो मैं प्रोत्साहन राशि वापस राजकोष में जमा करवाने का वचन देता/देती हूँ |

दिनांक -

अभिभावक के हस्ताक्षर   विद्यार्थी के हस्ताक्षर

सलंग्नक –

1. उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र व अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति |
2. सक्षम अधिकारी द्वारा ज़ारी सामान्य वर्ग के प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति |
3. विद्यार्थी के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र |
4. विद्यार्थी के बैंक पास बुक की छाया-प्रति |

अभिभावक के हस्ताक्षर   विद्यार्थी के हस्ताक्षर

Rajasthan Education Department

प्रपत्र-अ

-----राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र--------

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र / छात्रा ________________ पुत्र/पुत्री ________________ ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में शाला के अभिलेख अनुसार कक्षा ____ में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक ______ प्रतिशत _____ प्राप्त किये है व उक्त विद्यार्थी सामान्य वर्ग का है |

हस्ताक्षर शाला / संस्था प्रधान
मय सील